न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2014/00027 जिला–नागौर

1. प्रेमाराम दत्तक पुत्र जयराम
2. सुखी देवी बेवा राजूराम
3. दुर्गाराम पुत्र डालूराम
4. दीपाराम पुत्र डालूराम
5. चतराराम पुत्र डालूराम
   समस्त जाति जाट निवासी नारवांकलां तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. जियाराम पुत्र खूमाराम
2. बीरमाराम पुत्र खूमाराम
3. बालूराम पुत्र खूमाराम
4. चूनाराम पुत्र खूमाराम
5. बाबूराम पुत्र खूमाराम
6. गेहरा पत्नी रूपाराम
7. डेली पत्नी आयदाराम
8. पुरखाराम पुत्र कालूराम (फौत) जरिये वारिसानः–
   8/1 मीरा देवी पत्नी पुरखाराम
   8/2 ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम
   8/3 बाबूराम पुत्र पुरखाराम
   8/4 पारूदेवी पत्नी निम्बाराम

8/4 निम्बाराम पुत्र पुरखाराम (फौत) जरिये वारिसानः–
   8/4/1 पारूदेवी पत्नी निम्बाराम
   8/4/2 भागु पुत्र निम्बाराम
   8/4/3 जगदीश पुत्र निम्बाराम
   8/4/4 अशोक पुत्र निम्बाराम
   8/4/5 दम्मी पुत्री निम्बाराम
   8/4/6 केसु पुत्री निम्बाराम
   8/5 लिखमाराम पुत्र पुरखाराम
   8/6 राजु पुत्री पुरखाराम
   8/7 कोयली पुत्री पुरखाराम

9. भंवरूराम पुत्र बागाराम

10. डूंगरराम पुत्र मानाराम
समस्त जाति जाट निवासी नारवाकंला तहसील खींवसर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
दिनांक 17–12–2013 अन्तर्गत अपील संख्या 64/2011
बउनवान जियाराम बनाम प्रेमाराम व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री जी.एस.लखावत, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1 से 5 व 7

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नारवाकलां तहसील खींवसर स्थित विवादित आराजियात खसरा नम्बर 30 रकबा 9 बीधा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीधा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 रकबा 9 बीधा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 11 बघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 10 बीधा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 7 बीधा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 191 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 200 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 77 बीघा 13 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 16–3–2011 तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित किया गया जो कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है। उक्त विवादित आराजियात बाबत पक्षकारान के मध्य सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 274/98 अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–2022 के द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की लेकिन उसके बावजूद भी तहसीलदार नागौर ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 483 पारित कर दिया जिससे असन्तुष्टहोकर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक अपील जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–12–2013 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 483 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के

आदेश दिनांक 17–12–2013 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिय कि उप तहसीलदार खींवसर के द्वारा जो नामान्तरकरण संख्या 483 भरा गया है जो सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के आदेश की पालना में भरा गया था और उक्त आदेश राजस्व अपील अधिकारी नागौर के द्वारा भी बहाल रखा गया है। जब नामान्तरकरण उक्त आदेश की पालना में भरा गया था तो जो भी हक अधिकार उक्त अपील में तय हो जायेगे इसलिए उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को जिला कलक्टर नागौर द्वारा स्थगित कर दी जानी चाहिए थी ना कि नामान्तरकरण को खारिज करना चाहिए था। उप तहसीलदार, खींवसर द्वारा सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के आदेश दिनांक 8–4–2002 में प्रत्यर्थी संख्या 1 के वाद को खारिज किया गया था और जो नामान्तरकरण संख्या 483 भरा गया है वह नामान्तरकरण विरासत का था इसलिए उक्त विरासत के नामान्तरकरण को इस राजस्व वाद के खारिज होने एवं प्रत्यर्थी की एक अपील राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष खारिज होने के बावजूद उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही को बजाय स्थगित करने के खारिज नहीं करना चाहिए था जो कि विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से जिला कलक्टर नागौर का आदेश निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि उप तहसीलदार खींवसर द्वार ामौके की जांच कर सभी पक्षकारों को सुनकर नामान्तरकरण भरा गया था। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर की गई है वह सही थी यदि प्रत्यर्थी के कोईहक अधिकार है तो द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है और सहायक कलक्टर (मु0) नागौर व राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा दोनों ही न्यायालयों से ही प्रत्यर्थी के विरूद्ध निर्णय पारित होने से उपतहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण मार्गदर्शन के पश्चात नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि एक राजसव वाद संख्या 134/2011 अणदू देवी बनाम जियाराम उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष विचाराधीन है और उनके हक व अधिकार उक्त वाद में तय होने है और उक्त वाद जिला कलक्टर नागौर के समक्ष विचाराधीन अपील दिनांक 29–9–2011 के पश्चात नया राजस्व वाद प्रस्तुत किया और पूर्व वाद भी खरिज होने के बाद उसकी प्रथम अपील खारिज हो गई द्वितीय अपील विचाराधीन होने और मात्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से नामान्तरकरण की कार्यवाही को लम्बा करने की गरज से जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपील

प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार कर नामान्तरकरण को निरस्त कर कानूनी भूल की है। अतःन्यायहित में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–12–2013 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 483 दिनांक 16–3–2011 को बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 व 7 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित है। विवादित आराजियात बाबत राजस्व मण्डल में कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी करीब साढ़े 8 वर्ष पश्चात पक्ष्झकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदानर किये बिना नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम नारवाकलां तहसील खींवसर स्थित विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के मध्य सहायक कलक्टर (मु0) नागौर के यहां एक राजस्व वाद संख्या 274/98 अन्तर्गत धारा 88, 53, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–4–2002 के द्वारा पारित किया गया है जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 483 भरकर भू.अ.निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 483 पर तहसीलदार ने राजस्व अपील अधिकारी के प्रकरण संख्या 93/02 दिनांक 2–8–2002 द्वारा अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित की जाने तथा उक्त नामान्तरकरण बाबत सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए न्यायालय से मार्गदर्शन लिये जाने तक नामान्तरकरण के प्रभाव को रोके जाने का उल्लेख किया गया है। तहसीलदार, खींवसर द्वारा साढ़े आठ वर्ष पश्चात नामान्तरकरण संख्या 483 में अमल दरामद करने का आदेश दिनांक 16–3–2011 पारित किया है जिसके संबंध में किसी भी न्यायालय का मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ था जबकि विधि अनुसार आदेश पारित करते समय दोनों पक्षकारान को विधिवत सुनकर नामान्तरकरण आदेश पारित करना चाहिए साथ ही राजस्व मण्डल अजमेर में भी विवादित आराजियात बाबत निगरानी विचाराधीन है। राजस्व अपील अधिकारी एवं राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति बाबत अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर नागौर द्वारा आदेश दिनांक 17–12–2013 तहसीलदार खींवसर को

राजस्व अपल प्राधिकारी के न्यायालय से वर्तमान वस्तुस्थिति के आधार पर विधिसम्मत नियमानुसार नामान्तरकरण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—12—2013 अन्तर्गत अपील संख्या 64/2011 बउनवान जियाराम बनाम प्रेमाराम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26—12—2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर